



ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन संदर्भ मध्यप्रदेश

डॉ. संजय तिवारी , संजय कांत भारद्वाज & श्री जय शंकर शर्मा

* विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग (व्यवहारिक अर्थ ग्रस्त्र एवं व्यवसाय प्राप्ति), नवयुग कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर

* भाष्य-छात्र, रानी दुर्गावती विविद्यालय, जबलपुर



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

मध्यप्रदेश एक ग्रामीण बहुल जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ 77 प्रति लाख जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिनकी जीविका का एकमात्र साधन कृषि है। कृषकों में अधिकांश, लगभग 78 प्रति लाख कृषक, लघु एवं सीमांत कृषक हैं। मजदूर, निर्धन एवं भूमिहीनों की संख्या भी कम नहीं है, अर्थात् **मध्य प्रदेश** में ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों एवं योजनाओं की महती आवश्यकता है। तदनुसार राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गईं। अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम अभी भी किया गील हैं, जिनके यद्यपि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि उनके माध्यम से ग्रामीण विकास बहुत कुछ सीमा तक गतिमान हुआ है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुई ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना के पाचात् **मध्य प्रदेश** में ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों का विकास गतिमान हुआ है।” ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आज **मध्य प्रदेश** के लगभग 95 प्रति लाख से अधिक गाँवों में विद्युतीकरण हो चुका है एवं लगभग 13 लाख कृषि पंप विद्युत पंप द्वारा ऊर्जित किए जा चुके हैं। निर्धन, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को विद्युत की निः जुल्क सुविधा के अंतर्गत 27 लाख से अधिक बत्ती कनेक्टन की सुविधा विद्युत मंडल द्वारा प्रदान की गई है।” इनके अतिरिक्त सरकार द्वारा निम्नलिखित “ग्रामीण विकास की योजनाएँ” चलाई गई जिनमें **मध्य प्रदेश** विद्युत मण्डल का भी उचित योगदान रहा :-

1. **सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952** – नेहरू जी के जमाने के इस कार्यक्रम में अमेरिका तक ने सहायता की थी। श्रमदान इस कार्यक्रम का मुख्य अंग था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड बनाए गए। योजना के अंतर्गत ब्लॉक में विशेष समस्याओं के निदान के लिए कार्य होते थे। सिंचाई,

ग्रामीण सड़कें, स्कूल, खाद बनाना आदि अनेक कार्य ग्रामीण सहयोग से करने का यह सफल कार्यक्रम रहा। विद्युत मंडल ने सिंचाई हेतु विद्युत पंपों का ऊर्जाकरण प्रथम पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया।

2. **गहन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1959** – सभी कार्य एक जगह (न कि कुछ कार्य सब जगह) की नीति अपनाई गई। भारत में हरित कांति इसी से आई, परंतु **मध्य प्रदेश** से हरित कांति पंजाब की भाँति न आ पाई। विद्युत मंडल ने इसमें भरपूर सहयोग किया।

3. **राश्ट्रीय एक्सटें न सर्विस कार्यक्रम 1963** – राश्ट्रीय एक्सटें न सर्विस कार्यक्रम 1963 के अंतर्गत वि औशज्जों से हर ग्रामीण व कृषि समस्या पर सलाह देने का नेटवर्क (जाल) बिछाया गया। मंडल ने विद्युत के लोक व्यापीकरण हेतु योजनाएँ बनाई।

4. **गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1964** – (इंटेसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम) गहन कृषि क्षेत्र विकास का कार्यक्रम इसी के बाद भुरु द्वारा देना शुरू हुआ। इसके अंतर्गत आदानों-प्रदानों के विवरण व प्रयोग व रीतियों पर जोर दिया गया तथा उन्हें संभव बनाया गया। अनेक सिंचाई पंपों को ऊर्जित किया गया।

5. **कमाण्ड एरिया डेवलेपमेंट कार्यक्रम** – से सिंचाई योजना की नहरों में पानी वितरण से लेकर वहाँ पर उचित फसल संरचना विकसित करना प्रमुख लक्ष्य था। भूमि सुधार, समतलीकरण बाराबंदी विकास, उचित पानी निकासी आदि इसके कार्य थे। प्रति पानी इकाई तथा प्रति भू एकड़ अधिनियम फसल लेना इसके लक्ष्य थे। यह माना गया था कि :— अ) गरीबी बेरोजगारी का निदान कृषि विकास है।

- ब) कृषि का विकास पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं सिंचाई पर निर्भर है।
स) सिंचाई होने पर ही उन्नत बीज, उर्वरक तथा अन्य आदानों के प्रयोग करने की जरूरत व क्षमता बढ़ती है।
द) कृषि में सिंचाई पंपों का विद्युतीकरण आव यक है। तदनुसार सिंचाई पंपों के लिए विद्युत द्वारा बिजली प्रदान की गई है।

6. **ने नल रुरल एम्प्लायमेन्ट प्रोग्राम** तथा **रुरल लेबर एम्प्लायमेन्ट गारंटी** के प्रोग्राम – ये दोनों कार्यक्रम महाराश्ट्र की उस राहत योजना के बाद व्यापक बने जिसके अंतर्गत “अनाज” मजदूरी के रूप में दी जाती थी, खाद्य निगम के स्टाक भी निकल जाते थे और लोगों को अनाज भी सस्ते दामों पर मिलता था, अन्य गैर भोजन आव यकताओं के लिये बहुत कुछ भाग नगद भी दिया जाता था इन कार्यक्रमों से भूमिहीन कृशकों को बहुत लाभ हुआ। परंतु सभी राहत कार्यों में एक आधारभूत त्रुटि थी। अगर सूखा राहत कार्य होते हैं तो उनसे तालाबों, कुओं, स्टेपबन्ध, स्टाफ बन्ध के कार्य होने थे, ताकि अगले वर्ष उनकी जरूरत न पड़े, परन्तु यह नहीं हुआ।

7. **लघु एवं सीमांत कृशक विकास कार्यक्रम** – इन कार्यक्रमों के लिए छोटे किसान (2.5 से 5 हेक्टेयर भूमि धारक) सीमांत किसान (2.5 हेक्टेयर से कम के भूमि धारक) तथा कृषि श्रमिकों को वि औश रूप से चुना गया इनके मामले में साख देने में (VIABILITY OF PURPOSE) या वह कार्य

जिसके लिए साख ली जा रही थी, उसकी उपयुक्तता व लाभदेयता देखी गयी, इसके लिये (VIABILITY OF PURPOSE) या उधार लेने वाले की हैसियत जमानत के लिए नहीं देखी गयी पर्याप्त मात्रा में तकनीकी आर्थिक सलाह तथा भौतिक आदान सुलभ कराये श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 'सरक्षण' दिया गया ।

8. ग्रामीण विकास के युद्ध स्तरीय गहन कार्य – इसे 1971 में भुरु किया गया था । श्रम गहन "प्रोजेक्ट" चलाये गये । यह सोचा गया था कि गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कार्य ढूँढ़े व पूरे करें । भौतिक व मौद्रिक संसाधन कम पड़ जाने से यह कार्यक्रम (CRASH) या धरा गयी हो गया ।

9. न्यूनतम आव यकता कार्यक्रम – इस योजना को भुरु तो किया गया, परन्तु दे । की गहन समस्याओं का हल अभी भी नहीं हो पाया इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य थे/हैं :–

गाँवों में पीने का पानी का इन्तजाम,
गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ना,
प्राथमिक फैक्शन सुविधा,
वयस्क अधिकारियों की प्रौढ़ फैक्शन,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ती आव यक वस्तुएं सुलभ कराना,
सभी के लिए छोटे आवास,
मॉ-बच्चों का टीकाकरण व पोशण आहार,
एक बत्ती बिजली कनेक्टन,
मानव जीवन उन्नति की राह में अन्य कार्य,

इस संबंध में दे । के सभी राज्य में कार्य जारी है, परन्तु सभी गाँवों में पीने का पानी का इन्तजाम 32 के बाद अभी भी (चौथी से नवमीं योजना) नहीं हो पाया । केवल ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत मंडल ने 95 प्रति तात से अधिक ग्रामों में विद्युतीकरण करने में सफलता अर्जित की है । तथापि विद्युत की नियमित और पर्याप्त और आपूर्ति अभी भी नहीं हो पा रही है ।

10. समन्वित ग्रामीण विकास योजना – यह सबसे प्रसिद्ध और बहुत हद तक कारगर ग्रामीण विकास कार्यक्रम रहा । सातवीं योजना के लगभग 1.8 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए जिसमें 8688 करोड़ रुपये व्यय हुये । (3316 करोड़ रुपये इसमें सब्सिडी के थे) जिन परिवारों की आय रुपये 6400 से वार्षिक से कम थी उन्हें इस कार्यक्रमों के लिए चुना गया । इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नांकित सुविधाएं प्रदान की गई :–

1. हितग्राहियों को दुधारू, पु जू बैल जोड़ी, बैलगाड़ी, दुकान के लिए धन, पान बरेजा या फल उगाने के लिए सहायता, सिलाई मीन, भादी के लिए बाजे, रिक आ अनेकानेक कार्यों के लिए सहायता दी गयी ।

2. स्त्रियों, जनजाति, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वरीयता दी गई इन्हें 50 प्रति तत सब्सिडी दी गई। अन्य को 33 प्रति तत ही दी गई।

3. सूखा व बाढ़ की स्थिति से भी समन्वय करके सहायता दी गई।

4. अनेक विभागों के व्यक्तियों ने, जिनमें बैंके भी भागिल थे, इस कार्यक्रम में भाग लिया।

5. रोजगार व आय सृजन से कम—से—कम 60 प्रति तत हितग्राही गरीबी की रेखा से ऊपर गये। 'बूस्टर डोज' या पुर्णावत से भी इस स्थिति को लाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग हेतु मंडल ने भी प्रोत्साहन दिया।

11. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम — इसके अंतर्गत ग्रामीण युवकों को उन कार्यों (जैसे अनेक प्रकार की चीजों को सुधारने का कार्य) में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वे कुछ वस्तुएँ व सेवाएँ, जिनकी मांग हो तथा जिनसे आय कमा सकें, सृजन कर सकें। भारत में 10 लाख युवकों ने ट्रेनिंग ली, इनमें से 47 प्रति तत ने स्वरोजगार किया। 17 प्रति तत ने मजदूरी रोजगार लिया, परंतु 36 प्रति तत कुछ लाभ न पाए। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों में से मात्र 6 प्रति तत ही इस कार्यक्रम में लिए गए। विद्युत मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार के वर्क आप लगाने हेतु 7 लाख से अधिक विद्युत कनेक्ट न प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए कम तथा भाहरी युवकों के लिए अधिक लाभान्वित कार्यक्रम था। दोनों कार्यक्रमों के हितग्राही बनाया हुआ सामान बेच न पाने तथा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन न कर पाने से पर्याप्त आय न कमा पाए।

12. जवाहर रोजगार योजना — ये कार्यक्रम कम ता: ग्रामीण व भाहरी लोगों के लिए थे, एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई.पी.जी. की योजनाओं को भी इनमें मिला दिया गया। इसके लिए 80 प्रति तत धनराशि 1 केन्द्र ने तथा 20 प्रति तत राज्यों ने प्रदान की। यूँ तो 100 करोड़ मानव दिवस के रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु 1996-97 में प्रति व्यक्ति मात्र 15 दिन का रोजगार इससे दिया जा सका।

जो साधन दिए गए उनमें से 72 प्रति तत स्थानीय पिछड़ेपन तथा 28 प्रति तत विशेष कार्यों की जरूरत के आधार पर दिए गए।

72 प्रति तत का पूरा 100 प्रति तत वितरण इस प्रकार से है :—

60 प्रति तत — अनुसूचित जनजाति को

20 प्रति तत — कृषि उत्पादकता वृद्धि को

20 प्रति तत — भूमिहीन कृशकों के लिए

(28 प्रति तत का पूरा 100 प्रति तत वितरण इस प्रकार है :—)

72 प्रति तत — अनुसूचित जाति—जनजाति की सिंचाई योजनाओं के लिए

26 प्रति तत — इंदिरा आवास योजना के लिए

2 प्रति तत — प्रा. आसकीय व्यय को

जो राशि 1 दी गई उसका :—

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 20 प्रति ग्राम | — भाग जिला प्रभासन तथा |
| 80 प्रति ग्राम | — भाग पंचायते व्यय करती है। |

इस योजना अंतर्गत **मध्य प्रदेश**में छोटे-मध्यम आकार के स्वरोजगारों के लिए 3 लाख (लगभग) कनेक्ट इन विद्युत मण्डल द्वारा प्रदान किए गए।

13. बीस सूत्रीय कार्यक्रम – इस कार्यक्रम की घोषणा सर्वप्रथम 1975 में की गई। इसे एक बार नया रूप दिया गया। अंततः इसके 20 सूत्र इस प्रकार थे :–

1. (सिंचाई में वृद्धि) – यद्यपि छोटी योजनाओं पर अधिक जोर था, परन्तु राज्य में अभी भी 66 प्रति ग्राम बोया क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं। इसका विस्तृत विवरण पृथक अध्याय में दिया गया है।
2. दलहन तिलहन विकास
3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
4. (भूधारण सुधार) – गरीबों को भूमि, भाहरों व गाँवों में भू-सुधार, जमीन देना तथा उन्हें बेदखल होने से बचाना लक्ष्य थे।
5. (खेतीहर मजदूर) – न्यूनतम मजदूरी अब लगभग 32 रुपये प्रतिदिन है, परन्तु दिलवा पाने की गारंटी नहीं है।
6. (बंधुआ मजदूर पुनर्वास) – इस योजना में भले ही कुल ही सौ बंधुआ मजदूर मुक्त कराए गए हों, परन्तु इस पद्धति पर आधात आव यक किया गया है।
7. (अनुसूचित जाति व जनजाति वि भेश कार्य) – अलग योजना ही बनी है।
8. (पीने के पानी की व्यवस्था) – हर साल 3000 गाँवों में सुधार परन्तु हर साल वही स्थिति अभी भली बनी है।
9. आवास गृह हेतु जमीन उपलब्ध कराना।
10. गंदी बस्ती सुधार हेतु योजनाएँ लागू करना।
11. (गाँवों में बिजली) – यह कार्य योजना के अंतर्गत चल रहा है। **मध्य प्रदेश**विद्युत मण्डल द्वारा अब तक 68 हजार से अधिक गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब मात्र 4.5 प्रति ग्राम ही विद्युतीकरण हेतु भोश है।
12. (वनारोपण) – 4 लाख पौधे प्रतिवर्श बनाए गए परन्तु रखरखाव में कमी।
13. स्वैच्छिक आधार पर परिवार कल्याण।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ
15. महिलाओं व बच्चों के कार्यक्रम
16. प्राथमिक शिक्षा विस्तार, कन्या शिक्षा आदि।
17. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ोतरी।

18. (लघु उद्योग व अन्य उद्योगों को सहायता) – यह कार्य सतत् रूप से जारी है । 1000 से 2000 के बीच लघु उद्योगों की स्थापना हर वर्ष के लक्ष्य रहें हैं । ये सब निजी क्षेत्र में होते हैं । विद्युतीकरण का कार्य **मध्य प्रदेश** विद्युत मंडल द्वारा किया जा रहा है ।

19. तस्करों के खिलाफ कार्यवाही ।
20. सार्वजनिक उपकरण स वक्तीकरण ।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं के द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर परिवारों को ले जाने में तमिलनाडु, आंध्र प्रदे ।, महाराश्ट्र, असम, केरल ने अधिक अच्छा काम किया है । वहाँ बच्चों को स्कूल में खाना देने या दो रूपया प्रति किलो चावल देने से गरीबों के व्यय में कमी हुई । केरल में प्रवासी भारतीयों से प्राप्त धनराशि । ने काफी मदद की । असम में चूंकि भू-श्रम अनुपात अधिक था, अतः कृषि में उत्पादकता वृद्धि से आय में बहुत वृद्धि हुई । महाराश्ट्र में राहत कार्य कारगर रहे ।

मध्य प्रदेश के बढ़ते हुए औद्योगीकरण तथा कृषि क्षेत्र में सुधार, आवास गृहों के निर्माण से रोजगार में वृद्धि हुई परंतु बहुत क्षेत्र से अभी भी श्रम पलायन को कम नहीं कर पाया । अन्य राज्यों (वि शतः बिहार) से श्रमिक यहाँ आकर कार्य करते हैं । परंतु इसकी तो भारत में स्वतंत्रता है । अतः कोई भी राज्य गरीबी निवारण व रोजगार वृद्धि के लिए 'बंद अर्थव्यवस्था' पद्धति नहीं अपना सकता है , न ही अनिवार्य रूप से अधिक बच्चों के दंपत्तिका बंधीकरण कर सकता है ।

चूंकि विभिन्न राज्यों में खान-पान अलग-अलग हैं, अतः राज्यों ने योजना आयोग के 'टास्क फोर्स' से राज्य में विश्वास गरीबी की रेखाएँ खींचने को कहा । अतः लगभग सम्पूर्ण काल में गरीबी के नाम को तथा रूप से करने (राज्यानुसार समयानुसार) के कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण पाए गए, परंतु गरीबी निवारण के कार्यों के क्रियान्वयन पर ध्यान उतना न गया ।

भोजन न मिलना/लोगों का गरीब होना अगर एक सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा है तो इसका मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट तथा कुछ अनिवार्यता सहित परिवार नियोजन-निजी निर्णय का विशय होने के कारण है । **मध्य प्रदेश** में ग्रामीण विकास की गति मंद है । कृषि एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति पूर्णतः संतोशजनक नहीं है तथापि विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में बाधाएँ हैं । इनके अतिरिक्त अनेक विकास योजनाएँ किया गिल हैं और उनके ग्रामीण विकास कार्यक्रम में प्रस्तावित हैं ।

संदर्भ ग्रंथ

- (i) **मध्य प्रदेश** का भौगोलिक अध्ययन— **मध्य प्रदेश** हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2002—प्रसिला कुमार
(ii) **मध्य प्रदेश** का आर्थिक विकास— **मध्य प्रदेश** हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, भा । नायर
(iii) ग्रामीण अर्थ गास्त्र— वि गाल प्रका इन मंदिर, मेरठ, 2000, जैन अरूण
(iv) ग्रामीण अर्थ गास्त्र— एक अध्ययन, सनराइज पल्लिके इन, जयपुर, 2002 अग्रवाल जे.के.
(v) **मध्य प्रदेश** संदे ।— मासिक पत्रिका, जनवरी— 2006 भोपाल